भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 897

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

काम पूरा होने के पहले ही टोल वसूली

†897. प्रो. सौगत राय:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि डेवलपर्स द्वारा टोल वसूली केवल उसी स्थिति में अनिवार्य रूप से की जाए जब सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका हो, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह संज्ञान लिया है कि विभिन्न निर्माण स्थलों पर डेवलपर्स पचास प्रतिशत कार्य पूरा होने से पहले ही और यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित किए बिना जबरन टोल टैक्स वसूल रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने यह संज्ञान लिया है कि कुछ डेवलपर्स ने नियमों के विरुद्ध 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी से कम पर टोल टैक्स बूथ स्थापित कर दिए हैं, यदि हाँ, तो ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र में संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन के बाद और राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी विशेष खंड के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र/अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने के बाद संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार, प्रयोक्ता शुल्क केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्ण हो चुके खंड के लिए ही संग्रहित किया जाता है। तथापि, एनएच शुल्क, 2008 के अनुसार, यदि चार लेन वाले राजमार्ग का छह या अधिक लेन में उन्नयन किया जा रहा है, तो उन्नयन पूरा होने तक प्रयोज्य शुल्क, वसूले जाने वाला शुल्क से 75% तक कम हो जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाज़ा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, जिसके नियम 8 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य

शुल्क प्लाज़ा स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उक्त नियमों के प्रावधान के अंतर्गत लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों हेतु आदेश द्वारा अनुमति न दी जाए। इसके अतिरिक्त, बंद प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शुल्क प्लाज़ा स्थापित किए जा सकते हैं।

60 किलोमीटर की दूरी के भीतर शुल्क प्लाज़ा स्थापित करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाता है, जिसमें भूमि की उपलब्धता, वन क्षेत्र, यातायात का न्यूनतम डायवर्जन और नगरपालिका सीमा शामिल है। हालाँकि, ऐसे सभी मामलों में, शुल्क प्लाज़ा पर प्रयोक्ता शुल्क संबंधित शुल्क प्लाज़ा की परियोजना प्रभावित लंबाई के आधार पर वसूला जाता है, इसे परियोजना प्रभावित लंबाई के भीतर उसके विशिष्ट स्थान के आधार पर नहीं वसूला जाता है।

*****